Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

Non-compliance of Right to Education Act by some private schools in Bihar

डा. भीम सिंह (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक सामाजिक समस्या की ओर आपका, सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 6-14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, इस संबंध में जो प्रावधान था, वह संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था। वहां से निकालकर अनुच्छेद 21 'ए' के रूप में मौलिक अधिकार में शामिल किया। इस अनुच्छेद के किर्यान्वयन के लिए 2009 में राइट टु एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में प्रावधान है कि जो भी निजी विद्यालय हैं, वे विद्यालय भी अपनी सीट्स की 25 प्रतिशत सीट्स पर गरीब बच्चों का नामांकन कराएंगे, लेकिन बिहार में और खासकर कि जो मिशनरी स्कूल्स हैं, उनके द्वारा इसका धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। ये मिशनरी स्कूल एक तरह से शिक्षा माफिया के रूप में उभर गए हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, देश की अन्य जगहों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बिहार की बात करूँ, तो वे विद्यालय, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, वे नामांकन नहीं ले रहे हैं। हमने एक विद्यालय के प्राचार्य से इसके लिए बात की - संत माइकल स्कूल, दीघा, पटना। प्राचार्य ने साफ कह दिया कि हम अपने नियम से चलेंगे, सरकार के नियम से नहीं चलेंगे। हमने उन्हें समझाने के लिए, उनसे मिलने के लिए समय माँगा, उन्होंने समय देने से भी इनकार किया। मेरा सरकार से, आपसे और सदन से निवेदन है कि ये जो इस तरह के स्कूल्स हैं, जो निजी विद्यालय हैं, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, जो सरकार से तरह-तरह के लाभ उठा रहे हैं, जमीन का आवंटन तक सरकार का है, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please; not allowed. ...*(Interruptions)*...

डा. भीम सिंह: वे विद्यालय 25 परसेंट सीटों पर नामांकन नहीं कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... इसलिए ऐसे मिशनरी स्कूलों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और सदन द्वारा पारित 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के तहत जो प्रावधान है कि 25 परसेंट गरीब बच्चों का नामांकन हो, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Dr. Bhim Singh: Shri Chunnilal Garasiya (Rajasthan), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra and Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh).